



2026:AHC: 174212

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या - 1098 वर्ष 2026

आरव सिंह अवयस्क

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : विपिन गंगवार

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 73

माननीय न्यायमूर्ति संदीप जैन

प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज न्यायालय में दाखिल किए गए प्रति शपथ पत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री विनीत विक्रम की सहायता से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री इमरान उल्लाह खान को सुना गया।

आदेश दिनांक 04.08.2026 के माध्यम से, राज्य को बंदी (कार्पस), आरव सिंह को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में, थाना-फतेहगंज पश्चिम, जिला बरेली के दिलशाद हुसैन, पीएनओ संख्या 862750150 द्वारा बंदी (कार्पस) को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

यह न्यायालय बंदी (कार्पस), आरव सिंह से बातचीत नहीं कर सका, क्योंकि उसकी आयु केवल लगभग तीन वर्ष है। हालांकि, यह स्पष्ट था कि बंदी (कार्पस) अपनी दादी के साथ एक मजबूत भावनात्मक बंधन साझा करता है और उनकी संगति में बहुत सहज प्रतीत होता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता, श्रीमती साक्षी सिंह से बातचीत की, जिसने खुलासा किया कि वह अपने पति, सनी सिंह के साथ रहने के लिए तैयार है, बशर्ते कि वह यह वचन दे कि वह उसके साथ किसी भी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न या क्रूरता नहीं करेगा और उसे उनके वैवाहिक घर में सम्मान, गरिमा और आदर के साथ रखेगा। उसने आगे प्रस्तुत किया कि उसका पति शराब पीने के पश्चात अक्सर हिंसा करता है। उसने यह भी दावा किया कि, बंदी (कार्पस) की माता होने के नाते, वह उसकी अभिरक्षा की हकदार है।

इस न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 4, सनी सिंह, जो बंदी (कार्पस) का पिता है, से भी बातचीत किया। उसने खुलासा किया कि याचिकाकर्ता, श्रीमती साक्षी सिंह, अक्सर किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत करती है, जो उसके अनुसार, अनुचित है। उसने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का उसके प्रति आचरण और व्यवहार उचित नहीं है और वह अक्सर ऐसे कृत्यों में लिप्त रहती है, जो उसके अनुसार, एक पति या पत्नी के लिए अशोभनीय हैं।

इस न्यायालय ने पक्षकारों के बीच सुलह कराने का प्रयास किया और, उनके साथ विस्तार से बातचीत करने के पश्चात, अंततः उन्हें अपने वैवाहिक संबंध फिर से शुरू करने और एक साथ रहने के लिए मनाने में सक्षम हुआ।

याचिकाकर्ता, श्रीमती साक्षी सिंह ने इस न्यायालय के समक्ष वचन दिया है कि वह अपने माता-पिता के अतिरिक्त किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत नहीं करेगी, जिससे उसके पति को कोई शिकायत हो, और वह अपने वैवाहिक घर में कोई भी अनियंत्रित दृश्य उत्पन्न नहीं करेगी या किसी आपत्तिजनक आचरण या व्यवहार में लिप्त नहीं होगी।

प्रत्यर्थी, सनी सिंह ने भी इस न्यायालय के समक्ष वचन दिया है कि वह अपनी पत्नी को उनके वैवाहिक घर में सम्मान, गरिमा और आदर के साथ रखेगा और उसके विरुद्ध हिंसा, उत्पीड़न या क्रूरता का कोई कार्य नहीं करेगा। उसने आगे वचन दिया है कि वह शराब या नशीली दवाओं का सेवन नहीं करेगा और वैवाहिक घर में एक सौहार्दपूर्ण और अनुकूल वातावरण बनाए रखेगा।

इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता, श्रीमती साक्षी सिंह की माता से भी बातचीत किया, जिसने खुलासा किया कि यदि उसकी पुत्री अपने पति के साथ उनके वैवाहिक घर में रहती है, तो उसे कोई आपत्ति



नहीं है, बशर्ते कि प्रत्यर्थी उसे सम्मान, गरिमा और आदर के साथ रखे और उसके विरुद्ध हिंसा या उत्पीड़न का कोई कार्य न करे।

दोनों जीवनसाथियों ने इस न्यायालय के समक्ष वचन दिया है कि वे एक-दूसरे का सम्मान करेंगे और किसी भी ऐसे कार्य या आचरण में लिप्त नहीं होंगे, जिससे उनमें से किसी को भी शिकायत या शिकायत का कारण हो।

इस स्तर पर, इस न्यायालय को अवयस्क बंदी (कार्पस) की अभिरक्षा पर न्यायनिर्णयन करने की आवश्यकता नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या जीवनसाथी इस न्यायालय के समक्ष दिए गए वचनों का सम्मान करते हैं और उनका अक्षरशः अनुपालन करते हैं, मामले को दो माह की अवधि के पश्चात फिर से सूचीबद्ध करना उचित समझा जाता है।

तदनुसार, इस प्रक्रम पर मामले का अंतिम रूप से निस्तारण नहीं किया जा रहा है। इस मामले को 27 अक्टूबर, 2026 को सूचीबद्ध करें, जिस तिथि पर याचिकाकर्ता, श्रीमती साक्षी सिंह, प्रत्यर्थी संख्या 4, सनी सिंह, अवयस्क बंदी (कार्पस) के साथ, व्यक्तिगत रूप से इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

इस मामले को आंशिक सुनवाई वाला माना जाएगा और इस पीठ से संबद्ध किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति संदीप जैन)

18 अगस्त, 2026

मयंक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”